रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233937
CG-DL-E-04032022-233937

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2022/ फाल्गुन 13, 1943
No. 124] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2022/PHALGUNA 13, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2022

फा. सं. CEA-PS-11-23(21)/1/2021-PSPA-I Division.—जबकि मेसर्स अप्रवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (जिसको पूर्व में मेसर्स सी ऐल पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लोर-6 चाणक्य बिल्डिंग, आश्रम रोड के सामने, अहमदाबाद, गुजरात- 380009 में है, ने पारेषण योजना "मेसर्स सी ऐल पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारका- गुजरात में 250.8 MW पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है। और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र दिनांक 29.09.2021 के द्वारा कंपनी का नाम सीएलपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर अप्रवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एईपीएल) कर दिया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division दिनांक 19.03.2020 के द्वारा पारेषण योजना "मेसर्स सी ऐल पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारका- गुजरात में 250.8 MW पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना" के अंतर्गत आने वाली

शिरोपरि लाईन लिए मेसर्स सी ऐल पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सी ऐल पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 06.09.2021 (इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका, फुलचाब, अकिला) के स्थानीय अखबारों तथा भारत के राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 25.09.2021 से 01.10.2021 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स अप्रवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 07.12.2021 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि भारत के समाचार पत्रों / राजपत्रों में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "मेसर्स सी ऐल पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारका- गुजरात में 250.8 MW पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम की स्थापना" के तहत विद्युत लाईने बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाईनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

सी ऐल पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड- जाम खंभालिया 220 kV S/c लाईन

स्कीम के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी :-

राज्य: गुजरात

जिला	तहसील	गाँवों के नाम
देवभूमि द्वारका	कल्याणपुर	खाखरडा, पटेलका, भोपलका, गढ़का, मेघपर टीटोडी, उदेपुर, ध्रुमथल, चपर, कनकपर, कानपर शेरडी, माडी, केनेडी, सिदसरा, मांगरिया, खीजदड जामपर, लहेरगढ गढका, कनकपुर, नवा खीजदड, शिवनगर, हरिपुर, जुवानपुर, गोकुलपुर
देवभूमि द्वारका	खंभालिया	सीध्धपुर, मोवाण, गोलन शेरडी, केसोद, पीपलीया, ठाकर शेरडी, जुवानगढ़, भाडथर, भींडा, माधुपुर, वींझलपर, ललीया, मांझा, तथीया, कोलवा, भटगाम, भाटेल, खजुरिया, भांखोखरी, रामनगर, नवी मोवाण, नवा तथीया, रामगढ़, वीरमदड, नवा वीरमदड, वड़तरा

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स अप्रवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (जिसको पूर्व में मेसर्स सी ऐल पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को उपरोक्त शिरोपरि लाईन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाईनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) यदि पारेषण योजना के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन का मार्ग, जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के संबंध में 2019 की आज्ञापत्र संख्या 838 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के साथ जुड़े हुए नक़्शे में चिह्नित जीआईबी क्षेत्र से हो कर गुजरता है तो, कार्यान्वयन एजेंसी को शिरोपरि लाइन बिछाने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करना होगा जिसका उल्लेख 2019 की आज्ञापत्र संख्या 838 में 2020 की आई.ए. संख्या 85618 दिनांक 19.04.2021 में कि या गया है ।

(iv) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत उपयुक्त आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों / संहिताओं का पालन करना होगा।

(v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक / मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vii) मेसर्स अप्रवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (जिसको पूर्व में मेसर्स सी ऐल पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

वी. के. मिश्र, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./677/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 10th January, 2022

F. No. CEA-PS-11-23(21)/1/2021-PSPA-I Division.—Whereas M/s. Apraava Energy Private Limited (AEPL) (formerly known as M/s CLP India Private Limited (CLPIPL)), the applicant with its registered office at 6th Floor, Chanakya Building, Opp-Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat, India-380009, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity system for M/s CLP India Private Limited (CLPIPL) for its proposed 250.8 MW wind farms in Dwarka, Gujarat". Vide Certificate of Incorporation issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India dated 29.09.2021, the name of the company has been changed from CLP India Private Limited to Apraava Energy Private Limited (AEPL).

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division dated 19.03.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s CLP India Private Limited for the overhead line covered under the transmission scheme "Connectivity system for M/s CLP India Private Limited (CLPIPL) for its proposed 250.8 MW wind farms in Dwarka, Gujarat".

M/s. CLPIPL has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 06.09.2021 (Indian Express, Rajasthan Patrika, Fulchaab, Akila) and in Weekly Gazette of India dated 25.09.2021 to 01.10.2021 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s AEPL has submitted an affidavit dated 07.12.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines covered under the transmission scheme "Connectivity system for M/s CLP India Private Limited (CLPIPL) for its proposed 250.8 MW wind farms in Dwarka, Gujarat". The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. CLP India Private Limited (CLPIPL)– Jam Khambaliya PS 220 kV S/c line.

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

STATE: GUJARAT

District	Tehsil	Name of Villages
Devbhumi Dwarka	Kalyanpur	Khakharda, Patelka, Bhopalka, Gadhka, Udaipur, Madi, Meghpur titodi, Dhrumthal, Sidsara, Chapar, Kenedi, Kanakpar, Kanpar sherdi, Jampar, Khijdad, Mangalia, Lahergadh Gadhka, Kanakpur, Nava Khijdad, Shivnagar, Haripur, Juvanpar, Gokulpur
Devbhumi Dwarka	Khambhaliya	Sidhpur, Movan, Golan sherdi, Kesod, Pipariya, Lalia, Thakar sherdi, Juvangad, Bhadthar, Bhinda, Manjha, Madhupur, Vinjhalpar, Tathia, Kolva, Bhatgam, Bhatel, Khajuria, Bhankhokhri, Ramnagar, Navi Movan, Nava Tathia, Ramgadh, Viramdad, Nava Viramdad, Vadtara

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Apraava Energy Private Limited (formerly known as M/s CLP India Private Limited) for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) If the route of the overhead transmission line covered under the transmission scheme passes through the GIB zone marked in the map which is part of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04,2021, in the petition No.838 of 2019, regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the implementing agency shall have to comply with the decision of Hon'ble Supreme Court of India in its Order in I.A.

No. 85618 of 2020 dated 19.04.2021 in Writ Petition No. 838 of 2019 for laying of overhead transmission lines.

(iv) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vii) M/s. Apraava Energy Private Limited (formerly known as M/s CLP India Private Limited) shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

V. K. MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./677/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.03.04 23:05:19 +05'30'